प्र.सं. 52/21 दीवान बनाम अमरसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

सं0 – 52/2021(21/63)

दीवान पुत्र अमरसिंह जाति वाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र फुलाराम जाति वाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. भालसिंह पुत्र अमरसिंह जाति वाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. राजू पुत्र अमरसिंह जाति वाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. संतोष पुत्री अमरसिंह जाति वाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. सुनीता पुत्री अमरसिंह जाति वाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. आईसीआईसीआई बैंक शाखा 3 केआरपी जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**

वकील श्री उम्मेद मोठसरा **: प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 23/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 9/9 के खसरा संख्या 387 की 2.240 है. खसरा संख्या 397 की 0.100 है कुल 2.340 है. बारानी खातेदारी प्रतिवादी अमरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 के केआरपी के खाता संख्या 6/4 के मु.न. 79 के कि.न. 11, 12, 19 ता 23 मु.न. 82 कि.न. 10, 11, 19 ता 22 मु.न. 83 किला न. 6, 7, 14 ता 16 कुल 4.554 है नहरी खातेदारी प्रतिवादी अमरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा फुलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा के देहान्त होने पर वादभूमि का विरासतन नामान्तरण प्रतिवादी अमरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के संयुक्त हिन्दू परिवार की सहभागी सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का जन्म से हक एवं अधिकारी निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो जिसमें प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया इसी अनुसार वादभूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में तन्हा प्रतिवादी अमरसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हको पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 बैंक को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी दीवान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी करणपुरा बारानी सम्बत 2074–77 खाता संख्या 9/9, जमाबंदी 3 केआरपी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 6/4, जमाबंदी करणपुरा सम्वत 2029–38 खाता संख्या 32, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने करनपुरा बारानी के खाता संख्या 9/9 के खसरा संख्या 387 की 2.240 हे. खसरा संख्या 397 की 0.100 हे कुल 2.340 हे. बारानी खातेदारी प्रतिवादी अमरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 के केआरपी के खाता संख्या 6/4 के मु.न. 79 के कि.न. 11, 12, 19 ता 23 मु.न. 82 कि.न. 10, 11, 19 ता 22 मु.न. 83 किला न. 6, 7, 14 ता 16 कुल 4.554 हे नहरी खातेदारी प्रतिवादी अमरसिंह के नाम से [illegible] है। उक्त वाद कृषि भूमि चक 3 के केआरपी के खाता संख्या [illegible] 19, 20 मु.नं. 82 कि.न. 19, 21, 22 को छोड़कर शेष कृषि भूमि वा[illegible] की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र में अमरसिंह के वारिसान में पत्नि लिछमा फौत, दो पुत्री संतोष एवं सुनीता व तीन पुत्र दीवान, भालसिंह एवं राजू मौजूद होना एवं इनके अलावा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

कोई वारिस नही होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा ...क डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि करनपुरा बारानी के खाता संख्या 9/9 के खसरा संख्या 387 की 2.240 है. खसरा संख्या 397 की 0.100 है कुल 2.340 है. बारानी एवं चक 3 केआरपी के खाता संख्या 6/4 के मु.न. 79 के कि.न. 21 ता 23 मु.न. 82 कि.न. 10, 11, 20 मु.न. 83 किला न. 6, 7, 14 ता 16 कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादी अमरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि उक्त वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1, 4 व 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर व प्रतिवादी सं. 1 का वाद कृषि भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 3 के केआरपी के खाता संख्या 6/4 के मु.न. 79 के कि.न. 11, 12, 19, 20 मु.न. 82 कि.न. 19, 21, 22 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

(...यसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़